न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

रेफरेन्स संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/04/2013	2013/00017	10.12.2013	01.04.2026

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार (भू0अ0) राजगढ़, जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. कमल सिंह दत्तक पुत्र नाराणी कौम मीणा,
2. दूडा पुत्र जीतू मीणा – (मृतक),
   2/1 जयराम पुत्र दुडा,
   2/2 यादराम पुत्र दुडा,
   2/3 किस्तूरी देवी पत्नी दुडा जाति मीणा निवासीयान ग्राम जयसिंहपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर
   2/4 रमेशी पत्नी हंसराम निवासी बीरगांव, महुवा, जिला दौसा
3. कालू पुत्र जीतू मीणा,
4. उमराव पुत्र सान्या मीणा– (मृतक)
   निवासी जयसिंहपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर
   4/1 विनोद कुमार मीना पुत्र स्व० उमराव,
   4/2 सुरजो पत्नी जगदीश निवासी गांव किलपुर खेडा तहसील रैणी जिला अलवर,
   4/3 चन्दा देवी पत्नी महेश निवासी गांव किलपुरखेडात हसील रैणी जिला अलवर,
   4/4 अशरफी पत्नी शिवलहरी मीणा निवासी गांव बसवा जिला दौसा,
   4/5 तारा बाई पत्नी स्व० कमलेश निवासी गावं बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

—अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री राजकीय अभिभाषक — पैरोकार सरकार
2. श्री कमल सिंह पोसवाल — वकील अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

यह रैफरेंस प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान से प्रतिप्रेषित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। माननीय मण्डल द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों का गहन अवलोकन कर, संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ पत्रावली पुनः मण्डल में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए गए थे। माननीय न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की विस्तारपूर्वक बहस सुनी गई।

प्रार्थी तहसीलदार राजगढ़ की ओर से राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र रेफरेंस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि साबिक आराजी खसरा नंबर 402 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख.नं. 218 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम जयसिंहपुरा जिसके हाल आराजी खसरा नंबर 346 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 346/621 रकबा 0.42 हैक्टेयर कायम हुये हैं। उक्त विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 1998 में किस्म गैरमुमकिन तलाई होने से किसी व्यक्ति की खातेदार में अंकन नही की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.08.2004 अब्दूल रहमान बनाम सरकार में उक्त किस्म की भूमि यदि किसी की खातेदारी मे दर्ज हो

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

गई तो उक्त किस्म की भूमि को वापिस राजकीय भूमि में दर्ज करने के आदेश पारित किये है। अतः रेफरेन्स मंजूर किया जाकर साबिक आराजी खसरा नंबर 402 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख.नं. 218 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम जयसिंहपुरा जिसके हाल आराजी खसरा नंबर 346 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 346/621 रकबा 0.42 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण के नाम कलमजन किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड मे पूर्व किस्म दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

ग्राम जयसिंहपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर की भूमि साबिक खसरा नम्बर 402 रकबा 2 बीघा 18 बिस्या एवं खसरा नम्बर 218 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा गैर मुमकिन तलाई राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2014–2017 में उल्लेखित थी, जिसे विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थीगण के पूर्वज श्री सोन्या मीणा वगैरह के नाम नामान्तरकरण संख्या 32 के आधार पर दर्ज कर दी गई तथा वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 346 रकबा 0.53 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 346/621 रकबा 0.42 हैक्टेयर अप्रार्थीगण श्री कमल सिंह वगैरह, के नाम दर्ज है। चूंकि प्रश्नगत भूमि की किस्म पूर्व में गैर मुमकिन तलाई थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 से प्रभावित होने के कारण यह भूमि किसी व्यक्ति विशेष को न तो आवंटन नियम, 1970 के अंतर्गत आवंटन हो सकती थी तथा न ही इस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं।

विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी/नाला होने से किसी व्यक्ति की गैर खातेदारी/खातेदारी नहीं दी जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय ने भी डी.बी. सिविल जन हित याचिका सं० 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिनांक 15 अगस्त 1947 को राजस्व रिकॉर्ड में तलाई नदी, नाले को पुनः उसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है। अतः प्रार्थना पत्र मंजूर किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की है। सन 1998 में आराजी मुतनाजा राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन तलाई अंकित है, वह गलत रूप से अंकित की गई है। मौके पर कोई तलाई नहीं थी न आज है। विवादित आराजी में सन 1998 में भी काश्त होती थी और आज भी काश्त हो रही है। अप्रार्थी को विवादित आराजी पर खातेदारी सक्षम न्यायालय से निर्णय व डिक्री के जर्ये प्राप्त हुई है कि जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 32 खातेदारी का हम अप्रार्थीगण के बुजुर्गों व अप्रार्थीगण के नाम स्वीकार हुआ है। उक्त डिक्री व निर्णय के खिलाफ राजस्थान सरकार ने कोई अपील पेश नहीं की। इसलिए वह खातेदारी अधिकार अब किसी भी हालत में चैलेंज किए जाने योग्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णयानुसार यह विवादित आराजी उस श्रेणी में नहीं आती है, जिसके बारे में उक्त निर्णय पारित हुआ है। क्योंकि आराजी मुतनाजा में सन 1947 में भी कोई पानी नहीं भरता था और न ही कोई पानी है। बल्कि उक्त आराजी शुरू से ही काबिल काश्ते है और आज भी काबिल काश्त है। दीगर सूरत में यदि आराजी राजकीय घोषित की जाती है तो आज की रेट मुताबिक मुआवजा दिलाया जाना आवश्यक है। विवादित आराजी उनकी खातेदारी/गैर खातेदारी की भूमि है इस पर वो काबिज काश्त करते चले आ रहे है मौके पर नदी, नाला, तलाई नहीं है इस भूमि को बड़ी मेहनत से काबिज काश्त बनाया गया है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्षों की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से परीक्षण किया गया। पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण संख्या 32, मिलान क्षेत्रफल व मिलान बंदोबस्त संवत 2046, तथा जमाबंदी संवत 2010–14, 2014–2017, 2015–2018 से लेकर 2068 तक एवं खसरा गिरदावरी संवत 2015–18 से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (सज०)

2044–46 तक के अवलोकन से यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत भूमि की किस्म मूल रूप से 'गैर मुमकिन तलाई' ही अंकित रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 स्पष्ट रूप से नदी, नाले, तलाई, और जोहड़ (जलभराव क्षेत्रों) की भूमि पर किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार उत्पन्न होने पर रोक लगाती है। अतः ऐसी भूमि पर आवंटन नियम, 1970 के तहत या किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री यदि वह तथ्यों को छिपाकर या विधि विरुद्ध तरीके से प्राप्त की गई हो, के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्रदान करना पूर्णतः शून्य एवं अवैध है।

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार (2004) के ऐतिहासिक निर्णय में यह स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है कि जलभराव की भूमियों का संरक्षण किया जाना अनिवार्य है और यदि वे किसी व्यक्ति के नाम दर्ज हो गई हैं, तो उन्हें पुनः राजकीय भूमि के रूप में बहाल किया जाए। अप्रार्थीगण का यह तर्क कि भूमि पर मौके पर तलाई नहीं है और वे काश्त कर रहे हैं, विधि की दृष्टि में आधारहीन है क्योंकि जलभराव क्षेत्र का स्वरूप बदलना उसे खातेदारी भूमि नहीं बनाता। प्रार्थी तहसीलदार (भू.अ.) राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत रैफरेंस प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व स्थापित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, प्रार्थी तहसीलदार (भू.अ.) राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत रैफरेंस प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील राजगढ़ की विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 402 व 218 हाल आराजी खसरा नंबर 346 रकबा 0.53 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 346/621 रकबा 0.42 हैक्टेयर के संबंध में अप्रार्थीगण के पक्ष में पारित नामान्तरकरण संख्या 32 एवं उसके आधार पर की गई समस्त राजस्व प्रविष्टियों को विधि विरुद्ध मानते हुए निरस्त करने, तथा उक्त सम्पूर्ण आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में पुनः राजकीय भूमि (गैर मुमकिन तलाई) के रूप में मूल स्वरूप में दर्ज करने के अभिमत/अभिशंषा सहित यह पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर (राजस्थान) को अंतिम आदेश एवं पुष्टिकरण हेतु सादर प्रेषित की जावे।

(योगेश कुमार डागुर)
अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर, (राज0)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर